न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 360/2020 (RCMS 2020/00495)

प्रार्थीगण

1. भंवराराम पुत्र घीसाराम
2. कुम्भाराम पुत्र डालुराम
3. पारादेवी उर्फ पारकी पत्नि डालुराम
4. भानाराम पुत्र बोदुराम
5. मुनाराम पुत्र बोदुराम जाति समस्त जाट निवासी सुरतपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नानुराम पुत्र जोरूराम
2. पेमाराम पुत्र जोरूराम
3. मोहनराम पुत्र जोरूराम
4. रूपाराम पुत्र जोरूराम जाति समस्त जाट निवासीगण सुरतपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जरिये राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राज. काश्त. अधि. 1955 रास्ता कायम कराने।

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधि. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधि. अप्रार्थी सं. 2, 3 4 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 31-08-2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 124, 125, 126, 127, 128 की भूमि आई हैं, उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में खसरा नम्बर 124 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.01 हैक्टर की भूमि प्रार्थी खसरा नम्बर 1 की आई हुई है, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.32 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 2 ता 5 की आई हुई है, जिसके वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 124 ता 128 के मध्य खसरा नम्बर 123 की भूमि लगती है जो कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की शामलाती है, जिसके टच (छुती हुई) करती हुई प्रार्थी सं. 2 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 131, 132, 133, 134, 135 की भूमि आई हुई है, जिसमें से प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 133 के दक्षिण दिशा में आम सड़क आई हुई है जिससे खसरा नम्बर 133 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर में आगे बढ़ते हुए खसरा नम्बर 123 के आखिरी छोर तक प्रार्थीगण अपनी भूमि में से रास्ता बना रखा है जिसे वे कायम करवाना चाहते है। खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

131 के उत्तरी पूर्वी कोने से लगाकर खसरा नम्बर 128 की सीमा तक प्रार्थीगण को रास्ते में आने जाने में अप्रार्थीगण रोज व्यवधान उत्पन्न करते है, जिससे प्रार्थीगण के मवेशी व बाह जोत करने के लिए वाहनो का आवागमन अवरूद्व कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खसरा नम्बर 123 में से जाने वाली भूमि सरकारी नियमानुसार प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र केक साथ संलग्न है, जिसमे A से B मध्य में प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि में रास्ता तरमीम करवाना चाहते है तथा C से D अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता खुलवाना चाहते है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 123 की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 133 की भूमि के पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर में आगे बढ़ते हुए खसरा नम्बर 131 के आखिर छोर तक 12 फीट चौड़ाई का गै.मु.रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता नक्शा कायम कर राजस्व रेकार्ड में गै.मु.रास्ता नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें। प्रार्थीगण सरकारी डी.एल.सी.दर से जो मुआवजा बनता है वो अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी 5 की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल की प्रति, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, खसरा नम्बर 127 व 128 में आने–जाने के लिए रास्ते हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया है जबकि खसरा नम्बर 129 व 130 की भूमि पास लगती है, जो सबसे नजदीकी है। जबकि खसरा नम्बर 131 प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि है जिसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही किया जा रहा है न ही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता है व खसरा नम्बर 128 जो कि प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की भूमि दर्ज चली आ रही है, खसरा नम्बर 123 अप्रार्थीगण की काबिज सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गली रास्ता इत्यादि कभी नही रहा है जबकि खसरा नम्बर 130 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता ले सकते है, खसरा नम्बर 123 मे कभी रास्ता कायम नही रहा है न ही कभी प्रार्थीगण के खेत में से कभी आना जाना रहा है, खसरा नम्बर 123 की भूमि में से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है न ही प्रार्थीगण को अपने किसी खेत में आने–जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है, ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 353/133 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले पूर्वी कोने पर लगती है जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न तो पक्षकारा बनाया गया न ही प्रार्थना–पत्र में कही अनुतोष चाहा। खसरा नम्बर 127, 128 में आने–जाने के लिए पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 129, 130 की सीमा पर लगता है जो कि सबसे नजदीकी लगता हुआ रास्ता है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की उपधारा 251 (ए) की स्पष्ट मंशा है कि जिस खातेदार के रास्ता नही लगता उसके सबसे नजदीकी भूमि में से रास्ता दिया जावें न कि प्रार्थीगण की सुविधा अनुसार दिया जावें। खसरा नम्बर 123 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है तथा चारा–फूस डालने के लिए व रहवासी के लिए एक मकान बना हुआ है। विशेष कथन में अंकित किया गया है कि सुरतपुरा के खसरा नम्बर 123, 111, 112, 291, 305, 306, 307 अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की काबिज अधिकारो की चली आ रही है जिसमें से अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, खसरा नम्बर 123 में से प्रार्थीगण का कभी भी आना–जाना नही रहा है न ही कभी कोई रास्ता पूर्व मे रहा है न ही आज दिनॉक तक किसी प्रकार का रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ते का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है खसरा नम्बर 127, 128 में आने–जाने के लिए तो खसरा नम्बर 127 मे खसरा नम्बर 129 की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 130 की पूर्वी सीमा व उत्तरी सीमा प्रार्थीगण के खेत के लगती है जो कि सबसे नजदीक लगती है, इस प्रकार खसरा नम्बर 131, 133 होते हुए खसरा नम्बर 123 में से मांग की गई वह काफी दूरी पर स्थित है इस प्रकार आवेदन अस्वीकार किया जोन योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार कुचामनसिटी अपने पत्रांक/भू.अ./2020/01 दिनॉक 01.01.2021 को फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.12.2020 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि का मौका देखा गया तथा नजरी नक्शा तैयार किया गया, ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 124 से 128 का पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया, उक्त खसरा नम्बरो में मौके पर कोई कटाणी रास्ता नही है, खसरा नम्बर 131 व 133 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें भी मौके पर कोई कटाणी रास्ता नही है, प्रार्थीगण खसरा नम्बर 131 व 133 में गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने के लिए सहमत है जिसमें (खसरा नम्बर 133 में 80 मीटर लम्बा व 3.65 मीटर चौड़ा) व (खसरा नम्बर 131 में 100 मीटर लम्बा व 3.65 मीटर चौड़ा) व (खसरा नम्बर 123 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसमे रास्ते की लम्बाई 90 मीटर व चौड़ाई 3.65 मीटर) है, इस प्रकार खसरा नम्बर 128 में जाने के लिए खसरा नम्बर 136 गै.मु.रास्ता से कुल दूरी 270 मीटर बनती है जो नजरी नक्शा में बिन्दू संख्या **A** से **B** तक लाल लाईन से दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से बेगपुरा सड़क के खसरा नम्बर 147 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर [illegible] से होते हुए खसरा नम्बर 128 तक कुल दूरी रिकार्ड के अनुसार 148 मीटर है खसरा नम्बर 129 के दक्षिणी सीमा के रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

के पास 20 फीट लम्बा व 10 फीट चौड़ा ताबुको का टैग लगकार मकान बनाया हुआ है जो अभी का नया बना हुआ है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार एंव फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.12.2020 में अंकित **A** से **B** बिन्दू से खसरा नम्बर रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी वकील ने मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.12.2020 में अंकित खसरा नम्बर 129 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने का बहस दौरान कथन किया है तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 123 मे से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है और न ही प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता वर्षो से उपयोग किया जा रहा है, धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना से वंचित कृषको को रास्ता उपलब्ध करवाना है इस धारा की आड़ में सुविधा अनुसार रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है, सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराया जावें। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा मौखिक बहस पर अध्ययन किय गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 131, 133 प्रार्थीगण 2 ता 5 की खातेदारी भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उनकी खातेदारी में से मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ते हेतु दर्ज किये जाने हेतु सहमत है परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.12.2020 मे दर्शित रास्ता खसरा नम्बर 129 की दक्षिणी सीमा पर नजदीकी रास्ता लगता है जिसे पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा अप्रार्थीगण ने जवाब में भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 128 में आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 129 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे तथा खसरा नम्बर 130 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना उचित है पटवारी हल्का प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार राजकीय रास्ता खसरा नम्बर 131 से खसरा नम्बर 128 में आमद रफत हेतु लम्बाई 270 मीटर होगी, जबकि खसरा नम्बर 129 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे से खसरा नम्बर 128 में आने जाने हेतु दूरी 148 मीटर ही बनती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा खातेदारो को सबसे कम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराया जावें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जवाब एवं कथन अनुसार भी खसरा नम्बर 123 में कभी भी प्रार्थीगण का आना जाना नही रहा है तथा मौके पर किसी प्रकार से रास्ते के निशान उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को अपनी चाहत के अनुसार रास्ता दिया नही जा सकता। राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 123 के आस पास खसरा नम्बर 126, 127 128 भी है जिसमें से भी वे सरल रूप से आ जा सकते है। पटवारी मौका रिपोर्ट में भी बेगपुरा सड़क के खसरा नम्बर 147 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 129 की उत्तरी सीमा से होते हुए खसरा नम्बर 128 तक कुल दूरी रिकार्ड के अनुसार 148 मीटर है, जबकि खसरा नम्बर 131, 133, 123

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

से होते हुए दूरी 270 मीटर बनती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।
आदेश आज दिनॉक 31/8/2023 को सरे इजलास सुनाय गया।

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

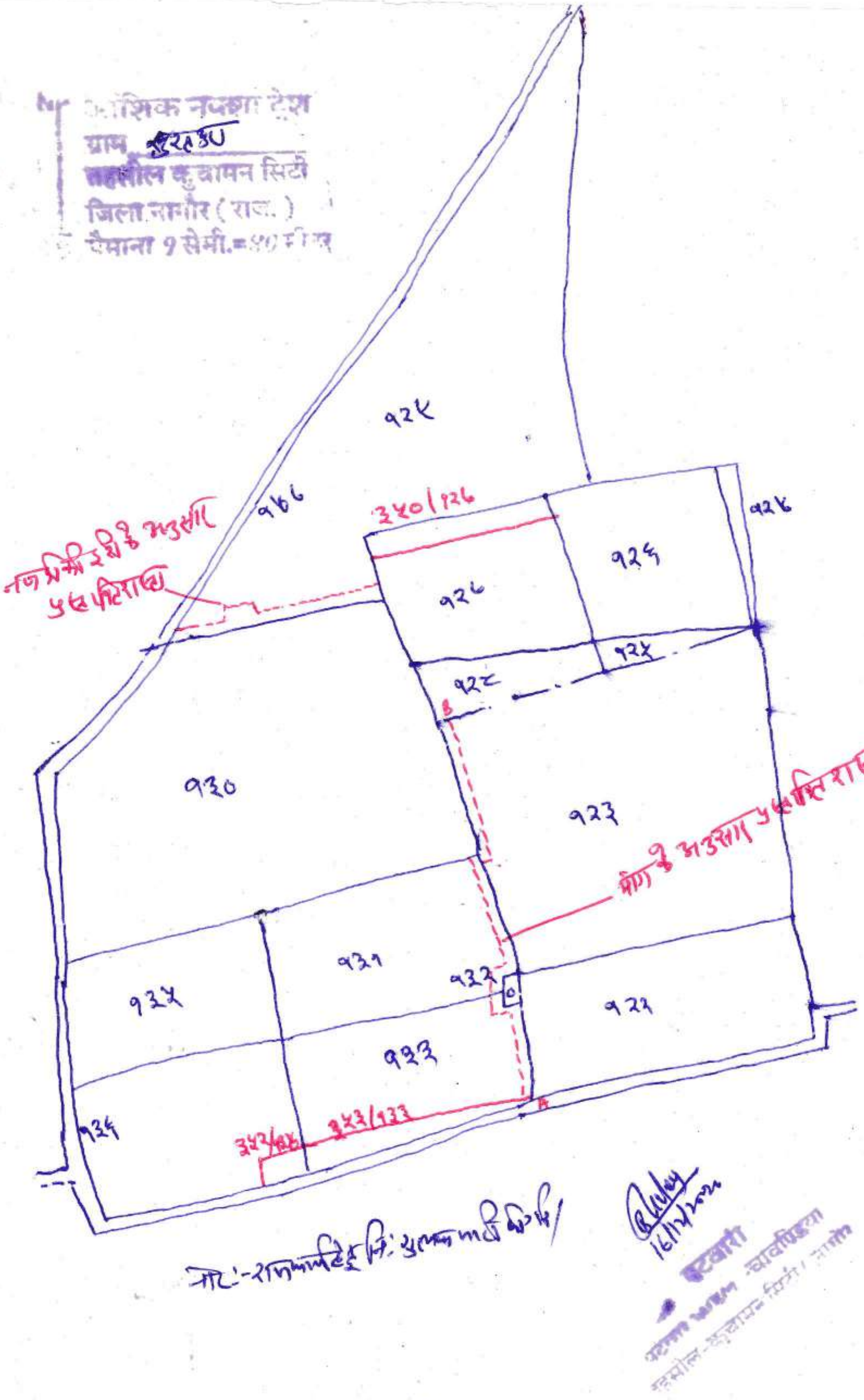

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....मांगीलाल शर्मा.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त....चितावा...., कार्यालय, तहसीलदार ....कुचामन सिटी.... के आदेश कमांक ....11-99.... दिनांक 05-11-2020.. की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/12/2020 समय 1:30 pm बजे आराजी खसरा नम्बर 124 to 128, 129, 130, 131 to 135, 123 .... वाके ग्राम सुरपुरा.... पटवार मंडल ....आकोदिया...... पर श्री [illegible]........ पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....सूचित किया गया.... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

समस्त पक्षकारों को मौके पर सूचित किया गया।

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	भंवरराम	खींवराम			
2.	कुम्भाराम	डालूराम	64	जाट	प्रार्थी
3.	पारसी उर्फ पारसी	डालूराम	44	जाट	—"—
4.	भानाराम	भोजूराम		—"—	—"—
5.	सुनाराम	भोजराज	58	—"—	—"—
6.	भानूराम	जोधराम		—"—	—"—
7.	पेमाराम	जोधराम	35	—"—	अप्रार्थी
8.	मोहनराम	—"—	33	—"—	—"—
9.	रूपाराम	—"—	55	—"—	—"—
			40	—"—	—"—

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :-

श्रीमानजी, ग्राम सुरपुरा के ख.नं. 124 से 128 का आज दिनांक 16/12/2020 को पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। उक्त ख.नम्बरो में मौके पर कोई कटानी रास्ता नहीं है ख.नं. 131 व 133 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें भी मौके पर कोई कटानी रास्ता नहीं है प्रार्थीगण ख.नं. 131 व 133 में आम रास्ता दर्ज करवाने के लिए सहमत है जिसमें ख.नं. 133 में 80 मीटर लम्बा व 3.65 मीटर चौड़ा व ख.नं. 131 में 100 मीटर लम्बा व 3.65 मीटर चौड़ा व ख.नं. 123 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसमें रास्ते की लम्बाई 90 मीटर व चौडाई 3.65 मीटर इसप्रकार ख.नं. [illegible] के लिए ख.नं. 136 आम रास्ता है कुल दूरी 270 मीटर व नक्शे जो नजरीनक्शा में बिन्दु A से B तक लाल [illegible]
इसीप्रकार [illegible] [illegible] ख.नं. 128 तक कुल दूरी [illegible] अनुमान 148 मीटर है। ख.नं. 129 में [illegible] सीमा [illegible] 20 मीटर लम्बा व 10 फीट चौड़ा [illegible] का [illegible] लगाकर मकान बनाया हुआ है। जो [illegible] नक्शा बनाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	भंवरराम	धीमाराम	जाट	[signature]	प्रार्थी
2.	भानाराम	बोदूराम	जाट	भानाराम	-ii-
3.	कुम्भाराम	डालूराम	जाट	कुम्भाराम	-ii-
4.	मुन्नाराम	बोदूराम	जाट	मुन्नाराम	-ii-
5-	धारादेवी अर्द्धधारवी	डालूराम	जाट	R.T.I. धारादेवी	-ii-

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	नानूराम	जोगाराम	35	जाट	अप्रार्थी
2.	प्रेमाराम	-ii-	33	-ii-	-ii-
3.	मोहनराम	-ii-	55	-ii-	-ii-
4	कपूराराम	-ii-	40	-ii-	-ii-

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिराज को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.

इस प्रकार आज दिनांक 16/12/2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

16/12/2020

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं. चावण्डिया

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत........................
16/12/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2020/01 दिनांक – 01.01.2021

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 360/2020 भंवराराम जाट सुरतपुरा बनाम नानूराम जाट सुरतपुरा वगैरह अन्तर्गत धारा 251 (A) RT Act रास्ता बाबत् मौका रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु ।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट/2020/644 दिनांक 03.11.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 360/2020 में वर्णित खसरों की मौका रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 251 (A) RT Act रास्ता बाबत् भू.अ. निरीक्षक चितावा द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही मौका रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

01.01.21

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामनसिटी

Court

01.01.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested